

अध्याय - 10

वरीयता निर्धारण संबंधी

पत्र संख्या-3/आर-1-152/02 का०-3434

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 09. 10. 2007

विषय :- सेवा संवर्गों में आपसी वरीयता निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त और प्रक्रिया।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक-15784, दिनांक 26.08.72 तथा पत्रांक-1509, दिनांक 02.03.2005 के प्रसंग में कहना है कि पत्रांक-1509, दिनांक 02.03.2005 के तहत पत्रांक-15784, दिनांक 26.08.72 की कंडिका-3 की उप कंडिका-(vi) को दिनांक 26.8.72 के भूतलक्षी प्रभाव से ही विलोपित कर दिया गया है। इस कारण दिनांक 26.08.72 के बाद से दिनांक 02.03.2005 के पूर्व तक जितने पूर्व सैनिक वरीयता का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नति पाये हैं उन सबकी वरीयता एवं प्रोन्नति का पुनरीक्षण अपेक्षित हो जाता है। यह न्यायसंगत नहीं पाया गया है। यदि किसी भी नियम के अंतर्गत कोई सुविधा किसी को दे दी जाती है तो बाद में बनाये गये नियम से वह कार्यान्वित अंश प्रभावित नहीं होता है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं० 11201/2001 (डा० कैप्टन कामेश्वर प्रसाद सिंह बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक 04.05.05 को पारित आदेश और सी०डब्लू०जे०सी० नं० 16064/2006 (विजय कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक 24.07.07 को पारित आदेश में भी निदेश दिया गया है कि उक्त परिपत्र का तत्लक्षी प्रभाव (Prospective effect) ही हो सकता है।

2. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत इस विभाग के पत्रांक-1509, दिनांक 02.03.2005 की कंडिका-4 को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि पत्रांक-15784 दिनांक 26.08.72 की कंडिका-3 की उप कंडिका-(vi) को दिनांक 02.03.05 के प्रभाव से विलोपित समझा जायेगा।

3. कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संख्या-3/आर-1-152/2002-1509

पटना-15, दिनांक 02. 03. 2005

सेवा में,

सभी विभागसभी विभागाध्यक्षसभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:- सेवा संवर्गों में आपसी वरीयता निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त और प्रक्रिया।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभागीय पत्रांक 3/आर 1-106/72-15784 का० दिनांक 26 अगस्त, 1972 की कंडिका -3 (vi) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त कंडिका के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों की राज्य सेवाओं/संवर्गों में नियुक्ति के फलस्वरूप उनकी वरीयता के निर्धारण के उद्देश्य से यह निर्णय संसूचित किया गया है कि "भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यह माना जायेगा कि वे सैनिक सेवा में अपने कार्यग्रहण के वर्ष के बाद वाले वर्ष में या सेवा के लिए भर्ती की न्यूनतम उम्र प्राप्त करने के बाद वाले वर्ष में, इनमें जो बाद में पड़े, भर्ती किये गये। किन्तु उनका क्रम उस वर्ष के सामान्य उम्मीदवारों के नीचे होगा, जो वर्ष भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति का वर्ष माना जायेगा। वरीयता के प्रयोजनार्थ किसी खास वर्ष के ऐसे भर्ती किये व्यक्तियों का आपसी क्रम उनकी उम्र के अनुसार होगा।"

2. ज्ञातव्य है कि चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान सेना में भर्ती किये गये आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशंड एवं इमरजेंसी कमीशंड व्यक्तियों की सेना की सेवा से वापसी के बाद उनके पुनर्वास हेतु अनुदेश दिये गये थे और इसी क्रम में राज्य सरकार के संकल्प संख्या - III/RI-602/66-A-14631 दिनांक 29.09.1967 के तहत राज्य असैनिक सेवाओं, आरक्षी सेवा एवं अन्य तकनीकी सेवाओं में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। 1967 के उक्त संकल्प की कंडिका-4 के अंतर्गत उनके लिए वरीयता निर्धारण के सिद्धान्त भी प्रतिपादित कर दिये गये थे। ये सिद्धान्त मात्र इमरजेंसी में विशेष परिस्थिति में नियुक्त सेना के कर्मियों के लिए ही लागू किया गया था, क्योंकि इस संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 09/26/74-इ०एस०टी०एस० (सी) दिनांक 06.01.75 के अनुसार 01.11.62 से 10.01.68 के बीच सेना में भर्ती किये गये तथा ऐसे सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्त व्यक्तियों को ही विशेष वरीयता का लाभ दिया जाना था। उपर्युक्त ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इमरजेंसी की अवधि में भी सेना में नियुक्त व्यक्तियों की गैर आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्ति होने पर वरीयता संबंधी लाभ नहीं मिलेगा तथा उन्हें मात्र वेतन का लाभ देय होगा। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में Released EC/SSC Officers (Reservation of vacancies) Rules, 1971 भी बनायी गयी थी, जो बाद में प्रभावी नहीं रह गयी। इससे स्पष्ट है कि उक्त व्यवस्था सीमित समय के लिए एवं सीमित उद्देश्य से की गयी थी। परन्तु उक्त विशेष परिस्थिति में संकट काल (इमरजेंसी) में ही नियुक्ति तथा विशेष नियुक्ति के तहत उनके लिए खास आरक्षित पदों के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों की वरीयता का निर्धारण हेतु निरूपित विशिष्ट प्रावधान को भूलवश 1972 के उक्त परिपत्र में वरीयता के सामान्य सिद्धान्त के तहत उल्लेखित कर दिया गया है।

अतः 1972 का उक्त परिपत्र जो राज्य सेवा संवर्ग में वरीयता निर्धारण के सामान्य सिद्धान्तों के संबंध में है, में भूतपूर्व सैनिकों की वरीयता से संबंधित प्रावधान पूर्णतः अप्रासंगिक है।

3. इसके अलावे, 1972 के उक्त परिपत्र के उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में, उनके द्वारा सेना की सेवा और राज्य की सेवा के बीच घर पर बितायी गयी अवधि की भी गणना वरीयता के प्रयोजनार्थ हो जाती है। ऐसे कतिपय दृष्टान्त भी सामने आये हैं, जो वरीयता के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं।

4. अतः उपर्युक्त पत्रांक 15784 दिनांक 26.08.1972 की कंडिका-3 की उप कंडिका (vi) को, उक्त परिपत्र के निर्गत होने की तिथि दिनांक 26.08.1972 के प्रभाव से ही विलोपित किया जाता है।

कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
रविकान्त
सरकार के सचिव